पुनर्वास योजना का कार्यकारी सारांश

परिचय

हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HRIDC) को 22 अगस्त 2017 में हरियाणा सरकार (GOH) और रेल मंत्रालय (MoR) की राज्य संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में क्रमशः 51% और 49% की हिस्सेदारी के रूप में स्थापित किया गया था। संयुक्त उद्यम को सहकारी संघवाद सिद्धांत सिद्धांत पर हरियाणा राज्य में विभिन्न रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे नई रेलवे लाइनों, अंतिम मील कनेक्टिविटी, क्षमता व्रिद्धि कार्यों, रेल परियोजनाओं का प्रबंधन आदि की योजना बनाने और कार्यान्वयन करने के लिए अधिकृत किया गया है। एच.आर.आई.डी.सी. ने विभिन्न रेल परियोजनाओं की पहचान की है जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

एच.आर.आई.डी.सी. द्वारा विकसित की जा रही परियोजनाओं में से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (HORC) एक है। यह परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए स्वीकृत मास्टर प्लान में 'ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर' का हिस्सा है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर के तहत, हरियाणा में कुंडली-मानेसर-पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेसवे नवंबर 2018 में चालू किया गया था। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा गजट अधिसूचना संख्या 499 दिनांक 04.02.2020 के माध्यम से 'विशेष रेलवे परियोजना' के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह परियोजना एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (ए.आई.आई.बी.) द्वारा वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित है।

परियोजना विवरण

हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर दिल्ली राज्य को बाईपास करते हुए पलवल से सोनीपत तक जाएगी। यह 121.742 रूट किलोमीटर की एक नई विद्युतीकृत डबल ब्रॉड-गेज रेल लाइन होगी जो सोहना, मानेसर और खरखोदा होते जाएगी । परियोजना का पलवल, पाटली, सुल्तानपुर, असौदा और हरसाना कलां स्टेशनों पर मौजूदा भारतीय रेलवे लाइनों के साथ और पिर्थला स्टेशन पर डैडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ कनेक्शन का भी प्रस्ताव है। यह परियोजना खरखौड़ा, मानेसर और सोहना के औद्योगिक केंद्रों के लिए फायदेमंद होगी और हरियाणा के इन क्षेत्रों के विकास में मदद करेगी। सभी कनेक्शनों सहित परियोजना की कुल मार्ग लंबाई लगभग 144 कि.मी. है।

परियोजना का लगभग 80% अलाइनमेंट ज्यादातर के.एम.पी. एक्सप्रेसवे के साथ अंदर की तरफ (दिल्ली की ओर) है और 10% अलाइनमेंट पश्चिमी डैडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ है। एन.सी.आर क्षेत्र के लिए स्वीकृत मास्टर प्लान में के.एम.पी. एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) से सटे 50 मीटर चौड़ी पट्टी को एच.ओ.आर.सी. के लिए निर्धारित किया गया था। इसके अलावा, के.एम.पी. एक्सप्रेसवे के बाहरी तरफ और एच.ओ.आर.सी. के भीतरी हिस्से में 100 मीटर चौड़ाई की हरित पट्टी भी निर्धारित की गई थी।

प्रस्तावित अलाइनमेंट हरियाणा राज्य के पांच जिलों अर्थात् पलवल, नूंह, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत से होकर गुजरता है। अलाइनमेंट को दर्शाने वाला नक्शा चित्र ES-1 में दिया गया है।

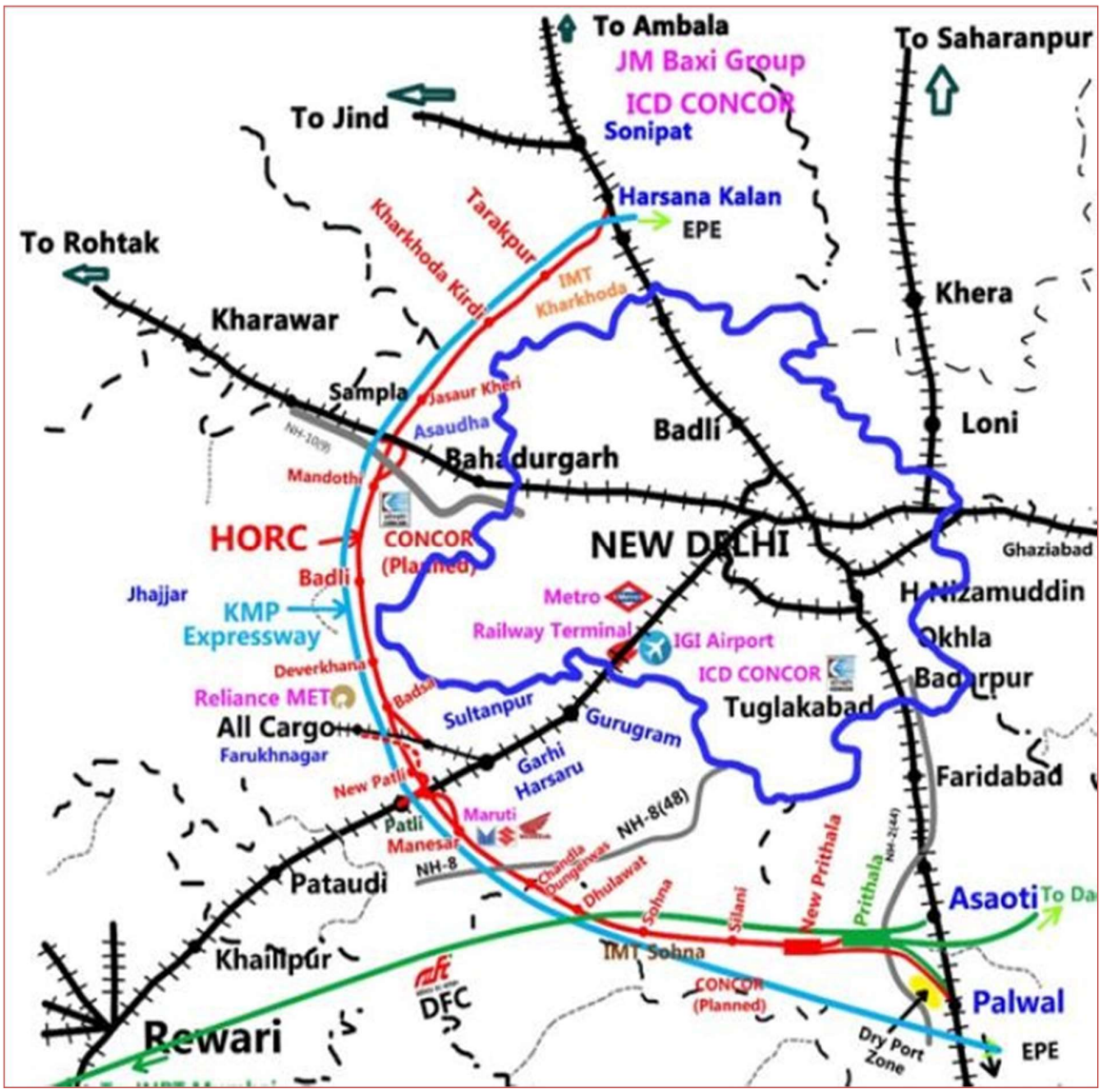

चित्र ES-1: प्रस्तावित हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास का दायरा

प्रस्तावित एच.ओ.आर.सी. परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता है। भूमि की आवश्यकता मुख्य रूप से रेल पटरियों, स्टेशनों, यात्री सुविधाओं, पार्किंग, सर्कुलेशन एरिया, ओवरहेड उपकरण और सिग्नल केबिन के निर्माण के लिए होगी। भूमि की आवश्यकता को न्यूनतम रखने का प्रयास किया गया है ताकि निजी संपत्ति का अधिग्रहण न्यूनतम हो। 20ए और 20ई अधिसूचनाओं के अनुसार परियोजना के लिए आवश्यक जिलेवार भूमि तालिका ES-1 मैं दर्शायी गई है।

20ए अधिसूचना के अनुसार कुल भूमि की आवश्यकता 1073 हेक्टेयर थी। बाद में, संयुक्त सर्वेक्षण तथा 20ई अधिसूचना के अनुसार 765.734 हेक्टेयर भूमि (निजी और सरकारी) की आवश्यकता है । 530 हेक्टेयर भूमि निजी है और 236 हेक्टेयर भूमि विभिन्न सरकारी विभागों की है। 20 ई अधिसूचना के अनुसार कुल भूमि की आवश्यकता को1073 हेक्टेयर से घटाकर 765.734 हेक्टेयर (यानी लगभग 28.6% कम) कर दिया गया है।

तालिका ES-1: भूमि अधिग्रहण विवरण

भूमि का वर्णन	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
डी.पी.आर. के अनुसार भूमि की आवश्यकता	
आई.एम.टी. सोहना (एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा पहले से ही अधिग्रहित)	10.00
आई.एम.टी. मानेसर (एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा पहले से ही अधिग्रहित)	38.00
आई.एम.टी. खरखौदा (एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा पहले से ही अधिग्रहित)	22.00
डी.एफ.सी.सी.आई.एल. की उपलब्ध भूमि	19.67
मौजूदा स्टेशन से कनेक्शन के लिए उपलब्ध रेलवे भूमि की आवश्यकता	8.00
डी.पी.आर. के अनुसार निजी भूमि की आवश्यकता	558.25
कुल भूमि की आवश्यकता	**655.92**
20ए अधिसूचना के अनुसार आवश्यक भूमि अतिरिक्त अधिसूचनाओं के प्रकाशन की आवश्यकता को कम करने के लिए आमतौर पर अपेक्षाकृत अधिक भूमि के आधार पर 20 ए अधिसूचना जारी की जाती है।	**1073** (सरकारी और निजी)
20ई नोटिफिकेशन के अनुसार	

भूमि का वर्णन	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
एच.एस.आई.आई.डी.सी.	129.91
सड़क	8.58
पंचायत	28.55
नहर/नाली	0.57
मौजूदा स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए रेलवे भूमि की आवश्यकता	13.4748
डी.एफ.सी.सी.	18.3116
के.एम.पी.	36.7308
निजी भूमि की आवश्यकता	529.606
कुल भूमि की आवश्यकता	**765.734**

जनगणना सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, कुल 371 संरचनाएं प्रभावित होंगी, जिनमें से 14 वाणिज्यिक, 19 आवासीय, 73 बोरवेल / कुएं और 122 चारदीवारी हैं। 17 सामान्य संपत्ति संसाधन हैं जो परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान प्रभावित होंगे। 43,887 व्यक्तियों वाले कुल 9889 परिवार प्रभावित होंगे। कुल परिवारों में से 9885 परिवार शीर्षक धारक हैं और 4 परिवार गैर-शीर्षक धारक हैं। प्रस्तावित परियोजना 491 कमजोर परिवारों को प्रभावित करेगी। 491 कमजोर वर्गों में से 42.0% अनुसूचित जाति के हैं, 32.4% बी.पी.एल। हैं और 25.7% डब्ल्यू.एच.एच. हैं।

सामाजिक-आर्थिक सूचना और प्रोफाइल

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 806 महिलाएं हैं। सर्वेक्षण किए गए परिवारों में अधिकांश हिंदू हैं। 86% परिवार हरियाणवी बोली में हिंदी बोलते हैं। सर्वेक्षण किए गए परिवार के 59.5% सदस्य विवाहित हैं। 76.2% परिवार एकल के रूप में पाए जाते हैं। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 15.3% लोग निरक्षर हैं और उनमें से 17.1% ने दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की है। औसत पारिवारिक आय रु.20,691/- प्रति माह है। सर्वेक्षण किए गए अधिकांश व्यक्ति कृषक हैं।

सार्वजनिक परामर्श और सूचना प्रकटीकरण

अप्रैल-मई 2021 के दौरान 88 गांवों में जन परामर्श आयोजित किया गया। बैठक में ग्रामीण, सरपंच, परियोजना प्रभावित व्यक्ति एवं एच.आर.आई.डी.सी. के अधिकारी उपस्थित थे। इन जन परमर्शों में परियोजना के अलाइनमेंट के बारे में बताया गया और स्टेशन के स्थानों पर चर्चा की गई, आर.पी.एफ. को साझा किया गया और पी.ए.पी. को हकदारियों की पद्धति भी

समझाई गई । लोगों द्वारा उठाए गए प्रमुख सामाजिक मुद्दों में भूमि अधिग्रहण, संरचनाओं का विध्वंस, विस्थापन, मुआवजा, नौकरी के अवसर, कामकाजी महिलाएं, पेयजल, स्वास्थ्य, स्कूल और धार्मिक स्थलों का स्थानांतरण शामिल थे। दस्तावेजों को आसानी से सुलभ बनाने के लिए, एक बार ई.एस.आई.ए. रिपोर्ट पूरी होने और अंतिम रूप देने के बाद, इसे स्थानीय भाषा में 'हिंदी' में अनुवादित किया जाएगा और एच.आर.आई.डी.सी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

कानूनी नीति और ढांचा

परियोजना में पुनर्वास के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपनाए गए कानूनी ढांचे और सिद्धांतों को भारत सरकार (जी.ओ.आई), हरियाणा सरकार (जी.ओ.एच) और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (ए.आई.आई.बी) के मौजूदा कानून और नीतियों द्वारा निर्देशित किया गया है। पुनर्वास योजना तैयार करने से पहले, मौजूदा राष्ट्रीय और राज्य नीतियों का विस्तृत विश्लेषण किया गया था और परियोजना के लिए एक पात्रता मैट्रिक्स तैयार की गई थी। आर.पी. बनाने में भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 और आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. अधिनियम (2017 में हरियाणा संशोधन) और ए.आई.आई.बी. के पर्यावरण और सामाजिक ढांचे, 2016 का इस्तेमाल किया गया है। नीतियों के बीच अंतराल का ध्यान रखा गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि रिपोर्ट ए.आई.आई.बी की ई.एस.एफ. (ई.एस.एस.1 और ई.एस.एस. 2) की आवश्यकताओं का पालन करती है।

पात्रता और पात्रता मैट्रिक्स

कट-ऑफ तारीख तक प्रभावित होने वाले व्यक्ति अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सहित, खोई हुई संपत्ति के स्वामित्व अधिकारों की प्रकृति और प्रभाव की भयावहता के आधार पर मुआवजे के उपायों, पुनर्वास और आजीविका सहायता के संयोजन के हकदार होंगे। आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. अधिनियम, 2013, रेलवे परिपत्र संख्या ई (एन.जी.) II/2010/आर.सी.-5/1 दिनांक 11/11/2019 और राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ.-3/सी.ए. 30/2018 दिनांक 23 जनवरी 2018, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा के अनुरूप एक पात्रता मैट्रिक्स (ई.ए.म) तैयार की गई है। पात्रता मैट्रिक्स (पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची) पुनर्वास योजना रिपोर्ट में दी गई है।

शिकायत निवारण तंत्र

हितधारकों की चिंताओं, शिकायतों और व्यथा को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के उद्देश्य से क्षेत्र स्तर पर और मुख्यालय स्तर (गुरुग्राम) पर एक दो स्तरीय शिकायत निवारण समिति

(जी.आर.सी.) की स्थापना की जाएगी। मुख्यालय स्तर पर जी.आर.सी. का नेतृत्व जे.जी.एम/लैंड एंड यूटिलिटीज, एच.आर.आई.डी.सी करेंगे और उसके सदस्य राज्य सरकार के प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि और पी.ए.पी के प्रतिनिधि होंगे। फील्ड स्तरीय जी.आर.सी. का नेतृत्व डी.जी.एम., एच.आर.आई.डी.सी. करेंगे, जहां पी.ए.पी. और ठेकेदार के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। दोनों जी.आर.सी. में जनरल परामर्शदाता संस्था (जी.सी.) के आर एंड आर/सामाजिक विशेषज्ञ और पर्यावरण विशेषज्ञ सदस्य होंगे। प्रस्तावित जी.आर.एम. के तहत, समस्या की गंभीरता के आधार पर, शिकायत दर्ज करने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर शिकायतों का निवारण किया जाएगा। जी.आर.सी. के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर प्रभावित व्यक्ति और अन्य संबंधित हितधारक ए.आई.आई.बी. की परियोजना प्रभावित पब्लिक नीति के अनुसार ए.आई.आई.बी. से संपर्क कर सकते हैं। यदि व्यक्ति जी.आर.सी. के निर्णयों से संतुष्ट नहीं है तो प्रभावित व्यक्ति के पास न्यायालय का सहारा लेने का विकल्प भी होगा। शिकायतों के लिए फोन नंबर और संचार पते एच.आर.आई.डी.सी. की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और निर्माण स्थल के पास विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

स्थान परिवर्तन, पुनर्वास और आय बहाली

पी.ए.एच को पुनर्वास का विकल्प दिया गया था लेकिन वे उचित मुआवजे के साथ खुद को स्थानांतरित करना चाहते हैं। पी.ए.एच. ने निर्माण के दौरान रोजगार के अवसरों, सरकारी एजेंसियों से ऋण में सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण के विकल्प को प्राथमिकता दी। विस्थापित परिवारों को दूसरी जगह स्थानांतरित करना पसंद नहीं था। परियोजना-पूर्व आय स्तर की बहाली प्रभावित समुदायों के पुनर्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पी.ए.पी. की सामाजिक -आर्थिक स्थितियों में सुधार के उद्देश्य से प्रभावित व्यक्तियों की आय की बहाली के लिए परियोजना नीति में कई प्रावधान हैं। पी.ए.पी. परियोजना के निर्माण के दौरान काम प्राप्त करके आय उत्पन्न कर सकते हैं एवं अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा, इस परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को मौजूदा सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाने में सुविधा होगी। जी.सी. पुनर्वास योजना को लागू करेगी और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय करेगी। परियोजना में कौशल स्तर को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण और कमजोर परिवारों को आर्थिक रूप से खुद को फिर से स्थापित करने के लिए अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है।

संस्थागत व्यवस्था

परियोजना में शामिल विभिन्न एजेंसियों और सलाहकारों के बीच निष्पादन, निगरानी और समन्वय के लिए एच.आर.आई.डी.सी. के भीतर एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) स्थापित की जाएगी। निदेशक (परियोजना एवं योजना), एच.आर.आई.डी.सी., पी.एम.यू. के प्रमुख होंगे। जी.सी. टीम के पर्यावरण और सामाजिक विशेषज्ञ परियोजना निदेशक एवं पी.एम.यू

के समग्र मार्गदर्शन में तथा ई.एस.आई.ए सलाहकार, सक्षम अधिकारियों, एम एंड ई सलाहकार, और अन्य संबंधित एजेंसियों और परियोजना में शामिल व्यक्तियों के साथ निकट समन्वय में काम करेंगे।

पुनर्वास और मुआवजा लागत और बजट

सरकार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुन:स्थापना सहायता के लिए पर्याप्त बजट प्रदान करेगी (जिसमें भूमि, भवन, पेड़, फसल, पी.ए.पी. के पुनर्वास और पुन:स्थापना अधिकार, सामान्य संपत्ति संसाधनों के पुनर्वास, उन्नयन और पुनर्वास लागत शामिल है (भूमि सहित, यदि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है)। बजट में भूमि और संरचना लागत, सामुदायिक संपत्ति, आर एंड आर लागत, एल.आर.पी. लागत, प्रशिक्षण, निगरानी और मूल्यांकन, जी.ए.पी. और एच.आई.वी./ एड्स जागरूकता के लिए लागत, प्रशासनिक खर्च आदि शामिल हैं। बजट सांकेतिक है और परियोजना के जारी रहने और कार्यान्वयन के दौरान मुद्रास्फीति दर को समायोजित करके लागत अपडेट की जाएगी ।भूमि और आर एंड आर लागत 1534.88 करोड़ है।

आर.पी. कार्यान्वयन अनुसूची

कॉरिडोर ऑफ इम्पैक्ट (सी.ओ.आई.) के भीतर स्थित पी.ए.पी. का पुनर्वास परियोजना के किसी भी हिस्से पर सिविल कार्य शुरू होने से पहले किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से संबंधित सभी योजनाएं यह सुनिश्चित करके बनाई जाएगी कि विस्थापन से पहले 100% मुआवजा दिया जाए और प्रभावित लोगों को सिविल कार्य शुरू होने से पहले अपनी संपत्ति खाली करने के लिए कम से कम तीन महीने का नोटिस दिया जाए। जो भाग अतिक्रमण और अन्य भारों से मुक्त हैं, उन्हें पहले ठेकेदार को सौंपा जाएगा। सबसे पहले उपलब्ध सरकारी जमीन पर निर्माण शुरू होगा और दूसरे चरण में 530 हेक्टेयर अधिग्रहीत निजी भूमि पर निर्माण शुरू किया जाएगा। फरवरी 2023 तक भूमि अधिग्रहण और फरवरी 2025 तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

जाँचना और परखना

पुनर्वास और पुनःस्थापन गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए निगरानी एक अभिन्न अंग है। एकत्र किए गए डेटा और जानकारी का परियोजना प्रबंधन और सीखने के लिए उपयुक्त विश्लेषण किया जाएगा। एच.आर.आई.डी.सी. की जी.सी. सोशल टीम द्वारा आंतरिक निगरानी की जाएगी। इसके अलावा, एच.आर.आई.डी.सी. निगरानी और अर्धवार्षिक निगरानी रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक बाहरी निगरानी सलाहकार को नियुक्त करेगा जो पी.एम.यू .को रिपोर्ट

प्रस्तुत करेगा। पी.एम.यू. निगरानी रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और फिर समीक्षा और टिप्पणियों के लिए ए.आई.आई.बी को प्रस्तुत करेगा।